मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय–भोपाल.

क्रमांक/उपार्जन/मोटा अनाज/2011–12/1235 **भोपाल, दिनांक 22.10.11**

प्रति,

जिला प्रबंधक,
मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
समस्त (म0प्र0)

विषयः– **खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 मे ज्वार, बाजरा एवं मक्का का समर्थन मूल्य के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के अभिकर्ता के रूप मे उपार्जन।**

खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 मे म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रदेश के सभी जिलों मे मोटा अनाज (ज्वार, बाजरा, एवं मक्का) का उपार्जन कार्य दिनांक 1 नवम्बर 11 से 31 जनवरी 12 तक किया जाएगा। इस संबंध मे म0प्र0 शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश क्रमांक/एफ/5–19/2011/29–1 भोपाल, दिनांक 13.10.11 आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। **(परिशिष्ट–01)**

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत उपार्जन की जिम्मेदारी कार्पोरेशन की होने के कारण मंडी मे अनाजों की आवक एवं भाव पर निगरानी रखना आवश्यक है। उपार्जन से संबंधित समुचित आवश्यक व्यवस्थाएँ स्थानीय परिस्थिति तथा बाजार भाव के दृष्टिगत शीघ्र पूर्ण करें तथा ओ0के0 रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित करें। शासन द्वारा जारी किये गये निर्देश (**परिशिष्ट –01**) के अतिरिक्त निम्नानुसार दर्शाये गये बिन्दुओं पर भी कार्यवाही सुनिश्चित की जायें

01. समर्थन मूल्य–

1.1 खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 मे खरीदी हेतु भारत सरकार के द्वारा औसत अच्छे किस्त (एफ0ए0क्यू0) मोटे अनाज का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, जो निम्नानुसार हैः–

1. ज्वार, बाजरा, मक्का – रू. 980 प्रति क्वि0

02. क्रय केन्दों की स्थापना–

<u>विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी कार्पोरेशन द्वारा केवल कृषि साख सेवा सहकारी/विपणन समितियों के माध्यम से ही खरीदी की जानी है। कार्पोरेशन मण्डी मे खरीदी नही करेगा,</u> अतः उपार्जन केन्द्रों की स्थापना के संबंध मे कलेक्टर से विचार–विमर्श

कर इन केन्द्रों का चयन किया जाए। जिन समितियों को अनियमितता के कारण ब्लैक लिस्टेड किया गया है, उन समितियों से उपार्जन न कराते हुए कलेक्टर से अन्य समितियों की नियुक्ति कराई जाये।

03. <u>एजेण्ट समितियों के लिये साख सीमा–</u>

ज्वार, बाजरा एवं मक्का के उपार्जन हेतु सेवा सहकारी/विपणन समितियों को कन्द्रीय बैंक साख सीमा स्वीकृत की जाएगी। **<u>उपार्जन हेतु कार्पोरेशन द्वारा किसी भी समिति को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।</u>**

04. <u>ग्रेडेशन एवं विनिर्दिष्टियाँ–</u>

समर्थन मूल्य पर उपार्जित समस्त स्कंध भारतीय खाद्य निगम के लिये क्रय किया जाना है। अतः तीनों खाद्यान्न निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार ही खरीदे जाएं। एक समान विनिर्दिष्टियों का **परिशिष्ट–02 अ** संलग्न है। ये विनिर्दिष्टियाँ अनुबंध पत्र के भाग होंगे तथा समितियों के द्वारा इन्हीं विनिर्दिष्टियों के अनुरूप खरीदी की जाना आवश्यक होगा। कृषक द्वारा अपनी उपज विक्रय हेतु क्रय केन्द्र पर लाने पर उसकी गुणवत्ता के बारे मे निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देकर परीक्षण किया जाएः–

01. तीनों अनाजों (ज्वार, बाजरा मक्का) के रंग, आकृति तथा सूरत प्राकृतिक होने चाहिए।
02. तीनों खाद्यान्नों मे आर्द्रता निर्धारित प्रतिशत से अधिक न हो।

उपरोक्तानुसार स्कंध के परीक्षण का कार्य **एजेण्ड सेवा सहकारी/विपणन समितियों द्वारा ही किया जाएगा** और इसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता नही ंबरती जाए।

एजेण्ट समिति द्वारा ज्वार को किस्मवार (लाल व सफेद) और मक्का को किस्मवार (पीली और सफेद) पृथक–पृथक बोरों मे भरती की जाए। स्कंध को **ज्वार/बाजरा/मक्का (औसत अच्छी किस्म) लिखा जाए।** एजेण्ट समिति द्वारा प्रत्येक जूट बोरे पर निम्न स्टेंसिल लगाई जाना अनिवार्य होगा।

केन्द्र का नाम ....
समिति का नाम.................................
अनाज का नाम.................................. (औसत अच्छी किस्म)
शुद्व वजन 50 किलोग्राम
उपार्जन वर्ष 2011–12

वर्ष 2011–12 मे उपार्जन हेतु भारत सरकार द्वारा नियत कलर कोड 'हरा' है, अतएव स्कंध से भरे जूट बोरे की सिलाई हरे रंग की सुतली से की जाए तथा हरे रंग से

स्लेन्सिल लगाई जाये। <u>बिना स्टेन्सिल या हल्के रंग के छापे लगे बोरों में उपार्जित स्कंध को किसी भी स्थिति मे स्वीकार/जमा नहीं करवाया जाएगा। गेंहूँ उपार्जन वर्ष 2010–11 में सभी समितियों को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई गई है। अतः भरे बोरों की सिलाई हेतु मशीन सिलाई को प्राथमिकता दी जाये। सिलाई हेतु उपयोग किये जाने वाले धागे की व्यवस्था समिति द्वारा स्वंय की जायेगी।</u>

" It must be ensured that bags are machine stitched (double line). In exceptional cases of manual stitching it would be done by folding over the mouth of the gunnies upto 1.5" (one and a half inch) and thereafter giving 14 to 16 stitches. All efforts must, however, be continued to ensure that society must do machine stitching of bags."

05. <u>एजेण्ट सेवा सहकारी समितियों के साथ इकरारनामा</u>–

जिलों के अन्तर्गत स्थापित उपार्जन केन्द्रों से संबंधित <u>सेवा सहकारी/विपणन समितियों के साथ परिशिष्ट क्रमांक 02</u> पर दिये गए प्रारूप मे इकरारनामा निष्पादित कर मुख्यालय को सूचित किया जाए। इसके लिये उपयुक्त होगा कि समितियों के व्यवस्थापकों को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्यालय में ही एक निश्चित दिनांक पर बुलाकर वहीं इकरारनामे निष्पादित कर खरीदी संबंधी निर्देश भी दे दिये जाएं।

05. (अ) <u>मण्डी शुल्क एवं निराश्रित शुल्क</u>–

एजेण्ट सेवा सहकारी/विपणन समितियों द्वारा मंडी व निराश्रित शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना है। इन शुल्कों के भुगतान की जिम्मेदारी कार्पोरेशन के जिला प्रबंधकों की रहेगी। इस हेतु कार्पोरेशन द्वारा समितियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाऐगा। भुगतान की प्रक्रिया जिला प्रबंधक सुनिश्चित करेंगें।

06. <u>अनुषांगिक व्यय</u>–

उपार्जन कार्य हेतु एजेण्ट सेवा सहकारी/विपणन समितियों को उनके द्वारा उपार्जित मात्रा पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए स्वीकृत अनुषांगिक व्यय की दर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। एजेण्ट समितियों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त अंतरिम देयक प्रस्तुत करने पर वर्ष 2010–11 मे लिये स्वीकृत मंडी लेबर चार्ज रू. 5.72/– प्रति क्विंटल मे से रू. 2.50/– प्रति क्विंटल भुगतान तत्काल किया जाए। शेष राशि रू. 3.22 का भुगतान अंतिम देयक प्रस्तुत करने पर किया जाए। केन्द्र शासन के द्वारा वर्ष 2011–12 के प्रावधानिक आर्थिक लागत की स्वीकृति अनुसार अंकेक्षित देयक प्रस्तुत करने पर अंतर की राशि का भुगतान किया जावेगा अथवा वसूली की जावेगी। सहकारी विपणन समितियों को मंडी लेबर चार्जेस के अतिरिक्त अन्य और कोई प्रासंगिक व्यय का भुगतान देय नहीं होगा।

07. <u>भण्डारण व्यवस्था</u>–

समितियों द्वारा उपार्जित स्कंध के भण्डारण हेतु भण्डारगृह उपलब्ध कराने के लिये वेयरहाऊसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन नोडल एजेंसी रहेगी। जिलेवार उपार्जन लक्ष्य की सूची परिशिष्ट 03 संलग्न है। जिला प्रबंधक दिये गये उपार्जन लक्ष्य एवं गत वर्ष के उपार्जन अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन मे भण्डारण सुनिश्चित करेंगे।

08. <u>परिवहन व्यवस्था</u>–

क्रय केन्द्रों से ज्वार, बाजरा, एवं मक्का का परिवहन म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के परिवहनकर्ताओं द्वारा 03 दिन के अंदर किया जाएगा। परिवहनकर्ता

क्रय केन्द्रों से मोटे अनाज सौ प्रतिशत तौल कराकर प्राप्त करेंगे एवं निकटतम निर्दिष्ट गोदाम में जमा करेंगे। स्कंध जमा करते समय मोटे अनाज में आने वाली कमी का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा, **लेकिन उपर्जित मोटे अनाज की भंडारण केन्द्र पर डिलेव्हरी देते समय एजेण्ट समिति के प्रतिनिधि का उपस्थित रहना आवश्यक होगा, ताकि स्टॉक की गुणवत्ता एवं तौल का निराकरण एजेण्ट समिति के प्रतिनिधि के समक्ष हो सके। अमानक स्तर के स्कंध को किसी भी दशा मे मान्य नहीं किया जाएगा तथा स्कंध अमान्य होने की स्थिति में दोनों तरफ के परिवहन भाड़े की वसूली भी संबंधित सेवा सहकारी/विपणन समिति से की जाएगी।** यदि किसी जगह कार्पोरेशन द्वारा नियुक्त परिवहनकर्ता उपार्जित स्कंध को समय–सीमा में परिवहन कराने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी दशा में एजेण्ट समिति उपार्जित स्कंध का परिवहन कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित परिवहन दर पर करा सकेंगी, जिसका भुगतान कार्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। परिवहनकर्ता द्वारा समयावधि में कार्य न करने पर यदि सहकारी समितियां स्वयं परिवहन कराती हैं, तब भी उक्त प्रक्रिया अनुसार ही कार्यवाही होगी, परिवहन व्यय का भुगतान समितियों द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। समितियों द्वारा स्वंय परिवहन कराने पर उन्हें वास्तविक परिवहन व्यय का भुगतान कर अंतर राशि की वसूली (यदि निर्धारित दर से अधिक हो तो अनुबंधित परिवहनकर्ता से की जाएगी)।

09. **स्कंध की भर्ती**–

समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत खरीदे गये स्कंध की भर्ती 50 किलोग्राम के जूट के बारदानों मे शुद्व वजन की रहेगी। भर्ती किये गये बारदानों की सिलाई मशीन के द्वारा ही की जायेगी।

जूट बोरों को उपयोग करने के पूर्व बोरों पर निर्धारित स्टेंसिल हरे रंग से अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी।

एचडीपीई/पीपी बैग्स के उपयोग करने पर समिति को जिला एवं खरीदी केन्द्र को कोड मुहर बोरों पर लगानी होगी। जिलों एवं समिति के कोड नं. गेंहूँ उपार्जन वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के अनुरूप ही रहेंगे। अतः जिला प्रबंधक यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित समिति द्वारा सही कोडेड मोहर का ही उपयोग किया जा रहा है।

त्रुटिपूर्ण/अस्पष्ट स्टेम्प लगा होने तथा स्टेंसिल नहीं लगा होने पर रूपये 1.00 प्रतिबोरा का कटौत्रा प्रासंगिक व्यय से किया जावेगा।

10. **धनराशि की व्यवस्था एवं लेखांकन**–

प्रत्येक एजेंट सेवा सहकारी/विपणन समिति निकटतम संग्रहण केन्द्र पर उपार्जित स्कंध की डिलेव्हरी देने के उपरांत **संलग्न परिशिष्ट क्रमांक 2–ब** पर दिये गये प्रारूप मे कार्पोरेशन के जिला कार्यालय में अंतरिम देयक प्रस्तुत करेगी जिसके साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जाएंगेः–

01. भंडारण प्रभारी द्वारा जारी स्वीकृति पत्रक दो प्रतियों में।
02. भंडारगृह मे डिलेव्हरी के समय तैयार किये गये तौल पत्रक की दो प्रतियां।
03. कृषक पर्चियां

उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप मे परीक्षण उपरांत देयक ठीक पाए जाने पर समर्थन मूल्य की दर के अतिरिक्त मंडी लेबर व्यय का अंतरिम भुगतान रू0 2.50/– प्रति क्वि0 से सतितियों को तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा। अंतिम भुगतान तब किया जाएगा, जबकि समिति ने शेष बारदाने वापिस कर दिये हों तथा अन्य कोई लेनदारी बाकी न हो। अंतिम देयक का प्रारूप <u>परिशिष्ट 2–स</u> पर संलग्न है। <u>सहकारी समितियों द्वारा प्रासंगिक व्ययों के दावे प्रस्तुत करेने के एक माह के अंदर ऐसे दावों का परीक्षण कर कार्पोरेशन निर्धारित चेनल (केन्द्रीय सहकारी बैंक) के माध्यम से समितियों को भुगतान करेगा।</u> कार्पोरेशन द्वारा इस विषय मे सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत दावों का निराकरण युक्तियुक्त आधार तथा प्रत्येक प्रकरण के गुणदोष के आधार पर किया जाएगा।

11. <u>विविध</u>–

समर्थन मूल्य के अन्तर्गत प्रतिदिन खरीदी की तथा प्रगतिशील खरीदी की जानकारी दोपहर 12.00 बजे तक क्षेत्रीय प्रबंध द्वारा फैक्स से मुख्यालय को भेजी जाए। जिला प्रबधंक खरीदी की प्रगति से जिला प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम एवं जिला कलेक्टर को भी अवगत कराएगें। क्षेत्रीय प्रबंध परिशिष्ट क्रमांक 04 में उल्लेखित प्रारूप मे जानकारी प्रतिदिन मुख्यालय को प्रेषित करेंगें यदि किसी संभाग में बिल्कुल खरीदी नहीं होती है, उस दशा में प्रत्येक सोमवार निरंक जानकारी प्रेषित की जाए<u>। समय पर जानकारी प्राप्त नहीं होने तथा एक साथ असामान्य/अवास्तविक उपार्जन जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवही की जा सकेगी तथा उक्त खरीदी संदेहात्मक मानकर उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व निर्धारित की जा सकेगी जिसके द्वारा समय पर रिर्पोटिंग नहीं की गई है। अन्य राज्यों से मोटे अनाज की आवक की खरीदी पर नियंत्रण्ध के उद्देश्य से राज्य की सीमा पर स्थित जिलों में सीमा के निकट उपार्जन केन्द्र नहीं खोले जाएं। इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएं।</u>

12. <u>मण्डी मे ज्वार, बाजरा एवं मक्का के आवक की जानकारी का नियमित प्रेषण–</u>

ज्वार, बाजरा एवं मक्का की मंडियों मे आवक तथा न्यूनतम एवं अधिकतम दरों की जानकारी का पत्रक प्राप्त कर मुख्यालय प्रतिदिन भेजा जाए।

13. <u>उपार्जन प्रकिया मे सतर्कता एवं पर्यवेक्षण हेतु विशेष बिन्दु–</u>

13.1 उपार्जन केवल सेवा सहकारी/विपणन समितियों के माध्यम से ही किया जाएगा।

13.2 जिला कलेक्टरों को उक्तानुसार अवगत कराया जाए तथा <u>यह भी निवेदन किया जाए कि विगत पाँच वर्षो में सेवा सहकारी विपणन समिति द्वारा किए गए अच्छे कार्य/रिकार्ड के आधार पर ही ऐसी सेवा सहकारी समितियों को उपार्जन सब–एजेण्ट नियुक्त किया जाए।</u>

13.3 जिला प्रबंधक सप्ताहान्त पर प्रत्येक सोमवार को उपार्जित स्कंध की मात्रा एवं गुणवत्ता का प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से <u>संलग्न परिशिष्ट क्रमांक–05 अनुसार मुख्यालय प्रेषित करेंगे।</u>

13.4 एजेण्ट सहकारी/विपणन समितियों द्वारा एक पंजी का निर्धारण किया जायेगा, जिसमें समिति द्वारा कृषक से किये गये उपार्जन की मात्रा एवं

भुगतान संबंधी जानकारी संलग्न **परिशिष्ट क्रमांक–02 द** अनुसार संधारित की जायेगी।

13.5 उपार्जित स्कंध निर्धारित एफ0ए0क्यू0 मानक के अनुरूप ही होना चाहिए, इस हेतु समिति को स्पष्ट रूप से समझाइश/निर्देश दिए जाएं कि गुणवत्ता संबंधी पूर्ण दायित्व एजेन्ट समिति का ही होगा। प्रत्येक जिले मे उपार्जन एवं खाद्यान्नों की गुणवत्ता परीक्षण के संबंध में सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण कारपोरेशन द्वारा दिया जायेगा। प्रशिक्षणार्थियों की सूची सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु पृथक से सूचना दी जायेगी। तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

14. क्षेत्रीय प्रबंधक का उत्तरदायित्वः गुणवत्ता/आर्द्रता पर पूर्ण नियंत्रण, परिवहन भुगतान की साप्ताहिक समीक्षा तथा मुख्यालय को उसका प्रेषण–

क्षेत्रीय प्रबंधक, प्रत्येक सप्ताह मे न्यूनतम दस समितियों व न्यूनतम पाँच संग्रहण केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान जिला प्रबंधक द्वारा संपादित कार्यों का निरीक्षण करेंगे और संग्रहण केन्द्रों पर भण्डारित स्टॉक की टेस्ट चैंकिग करायेंगे। **निरीक्षण के समय उपार्जन संग्रहण केन्द्रों पर आने वाली समस्याओं का निराकरण करेंगे तथा कोई विसंगति पाई जाने की दशा मे तत्काल सुधारात्मक उपाय करेंगे।**

15. क्षेत्रीय प्रबंधक का उत्तरदायित्वः गुणवत्ता/आर्द्रता, परिवहन तथा समय पर सेवा सहकारी समितियों को भुगतान, दैनिक सूचना का प्रेषण–

जिला मुख्यालय से खरीदी केन्द्रों तक बारदाना परिवहन कर एवं संबंधित समितियों से पावती प्राप्त करने की जिम्मेदारी जिला प्रबंधकों की होगी। ध्यान रहे कि किसी भी समिति को उसके द्वारा अनुमानित उपार्जित मात्रा से अधिक के बारदाने प्रदाय नहीं किए जाएं। समितिवार आवश्यकता का आंकलन करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला प्रबंधक की होगी और क्षेत्रीय प्रबंधक इसे नियमित रूप से मॉनीटर करेंगे। **उपार्जन कार्य समाप्त होने पर शेष बारदाने समितियों से वापिस प्राप्त करने अथवा निर्धारित मूल्य पर उनकी राशि समितियों से वसूल करने की एवं बारदानों के लेखा मिलान की जिम्मेदारी भी जिला प्रबंधक एवं बारदाना प्रभारी की रहेगी।**

प्रत्येक जिला प्रबंधक द्वारा प्रति सप्ताह 10 से 15 समितियों का निरीक्षण किया जाएगा तथा इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान संग्रहण केन्द्र पर संग्रहित स्कंध की गुणवत्ता एवं वजन का टेस्ट–चेकिंग कराया जाएगा एवं तौल–पत्रक पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। निरीक्षण के

दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संग्रहण केन्द्र पर लाए गये स्कंध के वजन एवं गुणवत्ता के बारे मे कोई भी विवाद की स्थिति नहीं है।

किसानों के हित मे समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज की खरीदी एंव शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा तथा कार्पोरेशन द्वारा मोटे अनाजों की खरीदी हेतु की गई **व्यवस्थाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के लिये पोस्टर इत्यादि छपवाकर जिला, जनपद एवं पंचायतों तथा जिले के प्रमुख ग्रामों में और कय केन्द्रों पर लगवाये जाएं। प्रचार–प्रसार हेतु पोस्टर व हैंडबिल छपवाकर वितरण किया जाना है।**

खरीदी व्यवस्थाओं के संबंध में जिला कलेक्टर के सहयोग से ग्राम स्तरीय कर्मचारी, कोटवार और पटेलों के माध्यम से भी व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए एवं जहाँ मंडियां कार्यरत हो वहाँ सचिव के माध्यम से दिन मे 1–2 बार लाउड स्पीकर से इस संबंधी घोषणा भी कराई जाये।

खरीफ वर्ष 2011–12 मे उपार्जन कार्य की सफलता आपकी मेहतन व योग्यता पर निर्भर करती है। स्कंध की गुणवत्ता के संबंध मे किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी तथा इसकी मुख्य व प्राथमिक जिम्मेदारी उपार्जन करने वाली सेवा सहकारी समिति की होगी, लेकिन कार्पोरेशन के गोदाम प्रभारियों का भी यह दायित्व होगा कि वे अमानक स्तर के किसी भी स्कंध को, किसी भी स्थिति मे स्वीकार कर गोदाम मे संग्रहित न करवायें बारदाना की माँग तथा उपयोग का संतुलन बनाये रखें तथा केन्द्रों पर बारदाना डम्प पड़े रहने की स्थिति निर्मित नहीं होने दें। जिला कलेक्टर के भी निरन्तर सम्पर्क में रहें तथा उपार्जन कार्य में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(चन्द्रहास दुबे)
प्रबंध संचालक

पृ0क्र0 / उपार्जन / मोटा अनाज / 2011—12 / भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल।
02. प्रमुख सचिव / सचिव,म0प्र0 शासन, सहकारिता / कृषि / राजस्व विभाग भोपाल।
03. संभागीय आयुक्त, समस्त।
04. आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म0प्र0 भोपाल।
05. आयुक्त, मण्डी बोर्ड, म0प्र0 भोपाल।
06. आयुक्त सह संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल।
07. कलेक्टर, समस्त।
08. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, भोपाल।
09. प्रबंध संचालक, म0प्र0 स्टेट वेयरहाऊसिंग लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल।
10. प्रबधं संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक), भोपाल।
11. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय—भोपाल।
12. क्षेत्रीय प्रबधंक, म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, भोपाल।
13. उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त।
14. महाप्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, समस्त।
15. अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक, म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, मुख्यालय—भोपाल।
16. उपाध्यक्ष महोदय के निजी सहायक, स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, भोपाल।
17. समस्त कक्ष प्रमुख, मुख्यालय भोपाल।

(चन्द्रहास दुबे)
प्रबंध संचालक

परिशिष्ट–ब

खरीफ विपणन मौसम 2011–12 मे समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत किसान दस्तावेज में लगाई जाने वाली सील का प्रारूप

सील
खरीदी केन्द्र का नाम...
वर्ष ....जिला/जगह का नाम..
खरीदी गई मात्रा ....दिनांक
हस्ताक्षर समिति प्रमख

परिशिष्ट –02

सेवा सहकारी/विपणन समितियों के साथ इकरारनामा

यह इकरारनामा आज दिनांक ––––––––––––––––को म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, जिसे आगे चलकर **कार्पोरेशन एवं** के नाम से सम्बोधित किया गया है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति/सेवा सहकारी/विपणन समिति–––––– जिला–––––––––––––––––जिसे आगे चलकर **समिति** के नाम से सम्बोधित किया गया है, के मध्य खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 मे समर्थन मूल्य के अन्तर्गत कृषकों से मक्का/ज्वार/बाजरा क्रय कर सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन की ओर से सम्बद्व राज्य/केन्द्रीय भण्डार गृह निगम/तिलहन संघ/विपणन संघ एमपी स्टेट वेयर हाउऊसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कारपोरेशन द्वारा किराये पर लिये गये गोदाम तक पहुंचकर डिलीवरी देने के कार्य के लिये आगे उल्लेखित शर्तों पर निष्पादित किया गया है।

02. कार्पोरेशन एजेण्ट समिति को उसक कार्यक्षेत्र में अपनी ओर से कृषकों से निश्चित समर्थन मूल्य पर कार्पोरेशन के निर्देशानुसार मक्का/जवार/बाजरा की खरीदी करने के लिये अधिकृत करता है। समिति कार्पोरेशन की ओर से समर्थन मूल्य खरीफ विपणन मौसल 2011–12 में उत्पादित मक्का/ज्वार/बाजरा में से शासन निर्देशानुसार क्रय किये गये निर्धारित गुणवत्ता वालो एफ0ए0क्यू0 मक्का/जवार/बाजरा को तुलवायेगी तथा उसे 50 किलो ग्राम के जूट बोरों में भरकर निर्देशानुसार बोरे की सिलाई करने के पश्चात् निर्दिष्ट स्थल तक पहुंचायेगी। खरीदे गये स्कंध के परिवहन की प्राथमिक जिम्मेदारी कार्पोरेशन पर रहेगी।

इकरारनामे की अन्य शर्तें निम्नानुसार हैः–

(क) समर्थन मूल्य के अन्तर्गत प्रति क्विंटल औसत अच्छी किस्म के मक्का/ज्वार/बाजरा हेतु शासन द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियां वर्ष 2011–12 **परिशिष्ट–2 अ संलग्न** जो इस अनुबंध पत्र के भाग माने जायेंगे। खरीदे गए स्कंध की गुणवत्ता एफ0ए0क्यू0 गुणवत्ता के अनुरूप होना चाहिए। अमानक स्तर के स्कंध की खरीदी के लिए उपार्जन सहकारी समिति का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा एवं ऐसे अमानक स्कंध के लिए समिति को कार्पोरेशन द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ख) खरीदी हेतु निर्धारित स्पेसीफिकेशन से निम्न स्तर का मक्का/ज्वार/बाजरा कारपोरेशन के भण्डार गृह में भेजे जाने की दशा में उसे अस्वीकृत कर वापस किया जावेगा एवं ऐसी स्थिति में अस्वीकृत किये गये गेंहूँ तथा इस पर हुए परिवहन व्यय के लिए स्वयं समिति उत्तरदायी होगी। नमी मापक यंत्र की व्यवस्था समिति द्वारा स्वयं की जावेगी।

(ग) बोरों की सिलाई मशीन से न होने पर राशि रूपये 0.50 प्रति बोरा के हिसाब समिति के देयक से कटौत्रा किया जावेगा।

(घ) समिति को जिला एवं खरीदी केन्द्र का कोडेड मुहर बोरों पर लगाई जानी होगी। उक्त मुहर बोरों पर हरे रंग से लगाई जायेगी।

(ड.) त्रुटिपूर्ण/अस्पष्ट मुहर लगी होने पर रूपये 1.00 प्रतिबोरा का कटौत्रा प्रासंगिक व्यय से किया जावेगा।

(च) **IISFM software (egrains.nic.in)** के माध्यम से कृषक की जानकारी तथा उपार्जन केन्द्रवार उनसे किए गए क्रय और उसको भुगतान, उपार्जन केन्द्र जिले से प्राप्त राशि, बारदाने एवं गोदामों में भंडारण की जानकारी भरने की व्यवस्था तैयार की गई हैं। उपरोक्त व्यवस्था के तहत उपार्जन करने वाली राज्य एजेन्सियों का यह दायित्व होगा कि डाटा इंट्री (**data entry**) का कार्य आउट सोर्सिंग (**outsourcing**) करवाकर उपरोक्त जानकारी उपार्जन एजेन्सी प्रतिदिन द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान करते हुए **IISFM software (egrains.nic.in)** में जानकारी प्रतिदिन भरने की व्यवस्था करेंगे। उपरोक्त कार्य मे लगने वाले व्यय का भुगतान उपार्जन एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

यदि केन्द्र शासन द्वारा उपार्जन एजेंसी को इस व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है, तो राज्य शासन द्वारा इस व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। सभी स्तर पर समीक्षा करने वाली एजेंसी/विभाग द्वारा अपने–अपने स्तर पर उक्त व्यवस्था के तहत जानकारी का स्वयं अवलोकन करना पड़ेगा।

(छ) एजेण्ट समिति, उपार्जित स्कंध को सुरक्षित स्थान पर रखेगी सभी प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी एवं उसमें हुई **किसी भी प्रकार की क्षति के लिय पूर्णतः जिम्मेदार रहेगी।**

(ज) समिति खरीदी केन्द्र ऐसे स्थान पर स्थापित करेगी जहाँ से उपार्जित मक्का/ज्वार/बाजरा का परिवहन ट्रकों से सुगमतापूर्वक किया जा सके। ऐसा न होने पर उपार्जित मक्का/ज्वार/बाजरा का परिवहन प्रभावित से होने वाली समस्त हानि का उत्तरदायित्व एजेन्ट संस्था का होगा।

क्रय केन्द्रों से मक्का/ज्वार/बाजरा परिवहन की व्यवस्था यह रहेगी कि कार्पोरेशन नियुक्त परिवहनकर्ता को समिति द्वारा मक्का/ज्वार/बाजरा शतप्रतिशत तौल कराकर सौंपा जावेगा। खरीदी केन्द्र पर क्रय किये गये मक्का/ज्वार/बाजरा का उठाव सूचना मिलने के 03 दिवस के अंदर किया जावेगा। समिति द्वारा शतप्रतिशत तौल कराकर कार्पोरेशन के परिवहनकर्ता को मक्का/ज्वार/बाजरा की सौपी गई मात्रा पर ही समिति को भुगतान किया जावेगा एवं ऐसी स्थिति में परिवहन कमी का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा। समिति द्वारा यदि बिना तौले मक्का/ज्वार/बाजरा परिवहनकर्ता को दिया जाता है, परिवहकर्ता द्वारा कार्पोरेशन के गोदाम पर शतप्रतिशत तौलकर जमा कराई गई मक्का/ज्वार/बाजरा की मात्रा पर ही समिति को भुगतान किया जावेगा।

खरीदी करने वाली समिति (पक्ष क्रमांक–दो) **संलग्न परिशिष्ट 2–ई** में प्रतिदिन कृषकवार की गई खरीदी की स्वयं एन्ट्री करायेंगे।

(झ) तौल, ग्रेडेशन, संग्रहण, परिवहन तथा अन्य व्यवस्था आदि बातों के संबंध में एजेण्ट समिति को कार्पोरेशन द्वारा जो भी निर्देश और सुझाव दिये जायेंगे उनका वह निष्ठापूर्वक अनुसरण करते हुए कार्य करेगी।

(ण) एजेण्ट समिति कार्पोरेशन की ख्याति और उनके व्यावसायिक हितों का उसी सन्निष्ठा से ध्यान रखेगी जैसा कि उससे वह अपनी ख्याति तथा अपने हितों को ध्यान में रखती है तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे कार्पोरेशन के व्यावसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(ट) इस इकरारनामें के प्रभावशील रहते हुए एजेण्ट समिति अन्य संस्था के एजेण्ट या आढ़तियों के प्रतिनिधि के रूप में या अपने स्वयं के खाते में मक्का/ज्वार/बाजरा की खरीदी नहीं करेगी।

(ठ) यदि खरीदे गये मक्का/ज्वार/बाजरा की गुणवत्ता या ग्रेड के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका निराकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपीलीय अधिकारी के रूप में किया जावेगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों (समिति तथा कारपोरेशन को मान्य होगा)।

(ड) उपार्जित मक्का/ज्वार/बाजरा की गुणवत्ता के बारे में कारपोरेशन की गुणवत्ता प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट समिति को मान्य करना होगा तथा निर्देशित स्पेसिफिकेशन से नीचे प्रदाय मक्का/ज्वार/बाजरा की क्वालिटी कट की राशि बावत् समिति का उत्तरदायित्व होगा तथा उक्त राशि समिति से वसूली योग्य होगी।

(ढ) खरीदी कार्य में लगने वाली सारी सामग्री यथा जराजू, कांटा–बांट, स्टेंसिल, सिलाई मशीन, सुतली, धागा, बैट्री, सूजा, छन्ना, रंग एवं हम्मालों का प्रबंध एजेण्ट समिति स्वयं करेगी, खाली बारदानों का प्रदाय कार्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। बारदाने एजेण्ट समिति को एडवांए के रूप में दिये जायेंगे और बारदाना गठान वापस न करने पर शेष बारदाना हेतु प्रति बारदाना की दर से समिति शेष बारदानों का मूल्य कार्पोरेशन को भुगतान करेगी अन्यथा कार्पोरेशन द्वारा अंतिम बिल के अन्तर्गत देय राशि के विरूद्ध कम प्राप्त बारदाने की राशि का समायोजन कर लिया जाएगा। बारदाना दर कारपोरेशन द्वारा पृथक से सूचित की जायेगी। **लूज बारदाना वापस नहीं किया जावेगा।**

समिति उपार्जित स्कंध को संबंधित गोदाम मे जमा कराके तुरंत स्वीकृति पत्रक प्राप्त करेगी। समिति द्वारा प्रत्येक दिन की **खरीदी की कृषकवार सूची तथा भुगतान की जानकारी संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट 2 द) मे रखी जाएगी और उस पर संबंधित कृषकों से भुगतान पावती के हस्ताक्षर कराये जाएंगे एवं प्रत्येक दिन की समाप्ति पर उस दिन की खरीदी का तथा प्रारंभ से प्रगतिशील योग लगाये जाएगें और संबंधित प्रभारी द्वारा प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर भी किये जाएंगे।** उपार्जन अंतरिम देयक संलग्न परिशिष्ट 2 ब पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ निम्न दस्तावेज दो प्रतियों में संलग्न करना अनिवार्य होगा–

01. चालान पत्रक
02. जमा के समय तैयार किये गये तौल पत्रक।
03. भंडारण केन्द्र प्रभारी द्वारा जारी स्वीकृति पत्रक।
04. कृषक पर्चियां एवं किसानों की सूची वाली पंजी की प्रतिलिपि, जिसमें ऋण पुस्तिका का क्रमांक अंकित है।
05. समिति के लिये निर्धारित कोड क्रमांक देयक पर अंकित करना।
06. कृषक डाटा की सॉफ्टवेयर मे इंद्राजकर निकाला गया पत्रक।

समिति द्वारा कार्पोरेशन के निर्धारित गोदाम मे स्कंध जमा रकने पर तत्काल उसका अंतरिम देयक प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किया जाएगा और उपार्जन की समाप्ति पर एक **अंतिम बिल (परिशिष्ट–2 स)** प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति को भुगतान–

समितियों को 90 प्रतिशत भुगतान डब्ल्यू एच0आर0 व स्वीकृति पत्रक जारी होते ही कर दिया जाए। बिल प्रस्तुत करने पर शेष 10 प्रतिशत एवं प्रासंगिक व्यय के मद मे प्रावधानित रूप से रूपये 2.50 प्रति क्विंटल एवं परिवहन व्यय (यदि कोई हो) का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। अंतिम भुगतान अंकेक्षित बिल प्रस्तुत करने पर किया जाए।

वर्ष 2011–12 के लिए अनुषांगिक व्यय की स्वीकृति में कोई परिवर्तन/संशोधन होता है ता वह समितियों पर भी बंधनकारी होगा। सहकारी समितियों द्वारा प्रासंगिक व्ययों के अंकेक्षित अंतिम दावे प्रस्तुत करने के एक माह के अंदर कार्पोरेशन ऐसे दावों का परीक्षण कर समितियों का भुगतान निर्धारित चेलन (केन्द्रीय सहकारी बैंक) के माध्यम से करेगी।

एजेण्ट समितियों द्वारा उपार्जन कार्य का ऑडिट कराया जाएगा तथा अंकेक्षित लेखे कार्पोरेशन को उपलब्ध कराये जाएंगे। कार्पोरेशन द्वारा मांगे जाने पर तत्संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना होंगे। इसके पश्चात् एक माह की अवधि में कार्पोरेशन ऐसे दावों का परीक्षण कर समितियों का भुगतान केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से करेगा।

(प) यदि एजेण्ट समिति के द्वारा इकरारनामे की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक को इस इकरारनामे को कभी भी निरस्त करेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ऐसी कार्यवाही के फलस्वरूप कार्पोरेशन को जो भी क्षति हुई हो, उसकी पूर्ति के लिए एजेण्ट समिति उत्तरदायी होगी। **भारत शासन/राज्य शासन/द्वारा मक्का/ज्वार/बाजरा उपार्जन संबंधी भविष्ट में लिए जाने वाले नीतिगत निर्णयों/निर्देशों का पालन उभयपक्षों को बंधनकारी होगा।**

(फ) यह इकरारनामा यदि उपरोक्त कंडिका (फ) के अनुसार निरस्त न कर दिया गया ता तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक कार्पोरेशन एंव एजेण्ट समिति के बीच कोई नया इकरारनामा अमल में न लाया जाए अथवा इसके किसी प्रावधान के आपरेशन से कार्पोरेशन के द्वारा एजेण्ट समिति को छूट न दी जाए।

(ब) इस इकरारनामे की किसी भी कंडिका को लेकर किसी प्रकार का विवार होने पर प्रकरण आर्बीट्रेटर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। आर्बीट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा। आर्बीट्रेटर प्रबंध संचालक, म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 भोपाल अथवा उनके मनोनीत व्यक्ति होंगे और उनके द्वारा दिया गया निर्णय/एवार्ड दोनों पक्षों को बंधनकारी एवं मान्य होगा।

(भ) विवाद की स्थिति में न्यायालयीन कार्य क्षेत्र भोपाल होगा।

यह इकरारनामा निम्नलिखित साक्षियों के समक्ष निष्पादित किया गया हैः–

01. साक्षी ....

02. साक्षी ....

प्रबंधक/लेखापाल
समिति की ओर से

दिनांक ....

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

जिला प्रबंधक/सहायक प्रबंधक
कार्पोरेशन की ओर से

दिनांक ....

परिशिष्ट 02 ब

(समिति द्वारा सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को प्रस्तुत किये जाने वाले अंतरिम देयक का प्रारूप)

समिति का नाम व पता
समिति का पंजीयन कमांक एवं दिनांक
कृषि उपज मंडी समिति का लायसेंस कमांक
अंतरिम बिल कमांक...दिनांक...
कय केन्द्र

अनाज का नाम– ज्वार/बाजरा/मक्का औसत अच्छी किस्म
(प्रत्येक स्कंध के लिये अलग–अलग बिल बनायें जाएं)

कमांक	विवरण	मात्रा	दर प्रति क्विंटल	राशि
01	भण्डार गृह निगम की (दो प्रति में संलग्ल) भण्डारण रसीदों के अनुसार जमा स्कंध			
02	मंडी लेकबर व्यय का अंतरिम भुगतान @ 2.50 प्रति क्विं0			

01. प्रमाणित किया जाता है कि जमा स्कंध की अंतरिम दर उक्त बिल में लगाई गई है, वह उपार्जित स्कंध के औसल अनुमानित उपार्जन मूल्य पर आधारित है एवं इसके आधार पर प्राप्त राशि का अंतिम समायोजन अंतिम बिल में किया जाएगा
02. मण्डी शुल्क/निराश्रित शुल्क के भुगतान की जिम्मेदारी कार्पोरेशन की है।

व्यवस्थापक
एजेण्ट सेवा सहकारी संस्था/समिति

परिशिष्ट 02 स

समिति द्वारा मोटा अनाज उपार्जन से संबंधित अंतिम बिल

1. समिति का नाम एवं पता
2. समिति का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
3. कृषि उप मंडी का लायसेंस क्रमांक
4. क्रय केन्द्र का नाम
5. क्रय स्कंध का नाम– ज्वार/बाजरा/मक्का औसत अच्छी (एफ0ए0क्यू0)
6. क्रय प्रारंभ करने की दिनांक.........................अंतिम खरीदी की दिनांक.............................

क्रमांक	**विवरण**	**मात्रा (क्विंटल में)**	**शुद्व राशि (रूपये में)**
1.	दिनांक..............से दिनांक..............के बीच कुल खरीदी मात्रा एवं भुगतान की राशि संलग्न (दो प्रति) कृषक सूची के अनुसार।		
2.	घटाईये, पूर्व प्रस्तुत अंतरिम देयकों से प्राप्त राशि		

प्रस्तुती का विवरण				**भुगतान का विवरण**		
देयक	दिनांक	मात्रा	राशि	क्रमांक	दिनांक	राशि

1. शुद्व राशि ....
2. अन्य विवरण ....
3. अन्य कटौत्रे (बारदाना, कमी, पेनाल्टी आदि) ....

देयक की कुल राशि

---

* नोटः– मंडी शुल्क/निराश्रित टेक्स के भुगतान की जिम्मेदारी म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की है।

व्यवस्थापक
एजेण्ट समिति,

परिशिष्ट 02 द

एजेण्ट सहकारी समिति द्वारा रखी जाने वाली कृषक उपार्जन तथा भुगतान की पंजी.

केन्द्र..

स्कंध ज्वार/मक्का/बाजरा
औसत अच्छी किस्म (एफ0ए0क्यू0)

क्रमांक	दिनांक	कृषक का नाम व पता	मात्रा	ग्रेड	दर	राशि	भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
01	02	03	04	05	06	07	08
दिनांक का योग							
प्रगतिशील खरीदी का योग							

हस्ताक्षर
व्यवस्थापक/सचिव, समिति

* नोटः– प्रत्येक स्कंध के लिए अलग–अलग पंजी रखी जाए और एक अतिरिक्त प्रति भी तैयार की जाकर उक्त प्रति को देयक के साथ प्रस्तुत की जाए।

परिशिष्ट 03

M.P. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD. H.O. BHOPAL
OWING ESTIMATED PROCUREMENT OF COARSEGRAINS & REQUIREMENT OF
KMS 2010-11

QTY. in M.T.

S. No.	Name of Districts	Estimated Procurement 2010-11			
		MAIZE	JOWAR	BAJRA	TOTAL
1	INDORE	1000.00	0.00	0.00	1000.00
2	DHAR	6000.00	0.00	0.00	6000.00
3	KHARGONE	1400.00	1000.00	0.00	2400.00
4	BADWANI	2500.00	0.00	0.00	2500.00
5	KHANDWA	1000.00	900.00	0.00	1900.00
6	BURHANPUR	10000.00	3000.00	0.00	13000.00
7	UJJAIN	500.00	0.00	0.00	500.00
8	DEWAS	200.00	0.00	0.00	200.00
9	SHAJAPUR	500.00	0.00	0.00	500.00
10	RATLAM	6000.00	0.00	0.00	6000.00
11	MANDSOUR	6000.00	0.00	0.00	6000.00
12	NEEMUCH	4000.00	0.00	0.00	4000.00
13	CHHINDWARA	10000.00	100.00	0.00	10100.00
14	SEONI	100.00	0.00	0.00	100.00
15	NARSINGHPUR	100.00	0.00	0.00	100.00
16	BHIND	0.00	0.00	1000.00	1000.00
17	MORENA	0.00	0.00	2000.00	2000.00
18	SHIVPURI	100.00	0.00	0.00	100.00
19	GUNA	100.00	0.00	0.00	100.00
20	SHEOPURKALAN	0.00	0.00	2000.00	2000.00
21	BHOPAL	50.00	0.00	0.00	50.00
22	BETUL	450.00	0.00	0.00	450.00
	TOTAL	**50000.00**	**5000.00**	**5000.00**	**60000.00**

परिशिष्ट 04

//म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0,//
मुख्यालय– भोपाल.

मोटे अनाज उपार्जन की दैनिक जानकारी का पत्रक

मात्रा मे0टन में

स्थिति दिनांक.....................

जिले का नाम	ज्वार		बाजरा		मक्का		भुगतान की स्थिति (ज्वार, बाजरा व मक्का की सम्मिलित)		
	दैनिक उपार्जन मात्रा	प्रगतिशील उपार्जन मात्रा	दैनिक उपार्जन मात्रा	प्रगतिशील उपार्जन मात्रा	दैनिक उपार्जन मात्रा	प्रगतिशील उपार्जन मात्रा	भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई राशि	शेष राशि

क्षेत्रीय प्रबंधक,
म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0,
....

.

विशेषः– उक्त प्रारूप में जिलों द्वारा जानकारी प्रतिदिन क्षेत्रीय प्रबंधक को प्रेषित की जाएगी तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा जिलेवार संकलित कर एकजाई जानकारी प्रतिदिन नियमित रूप से मुख्यालय भेजी जाएगी।

परिशिष्ट 05

जिला प्रबंधक द्वारा सप्ताहान्त उपार्जित स्कंध की गुणवत्ता व मात्रा की पुष्टि के प्रमाण–पत्र का प्रारूप

अवधि दिनांक.....................से दिनांक............................तक

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला.........................में खरीफ विपणन वर्ष 2010–11 में स्थापित............................उपार्जन केन्द्रों पर निम्नानुसार मात्रा में सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से मोटे अनाजों का उपार्जन किया गया हैः–

(मात्रा क्विंटल में)

ज्वार	....
मक्का	....
बाजरा	....

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समितियों द्वारा उपार्जित एवं भंडारित किया गया उक्त स्कंध भारत शासन द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप एफ0ए0क्यू0 है।

हस्ताक्षर
जिला प्रबंधक
म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0
...